न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या : 244/2023
निर्णय दिनांक :– 21.01.2025

उनवानः

1. विक्रमसिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र जुगलाल जाति चमार
2. मदनलाल पुत्र जुगलाल जाति चमार
3. रिसाल सिंह पुत्र जुगलाल जाति चमार सभी निवासी ग्राम खून्दरोठ तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. उप पंजीयक महोदय मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण जिला कोटपूतली–बहरो

.....अप्रार्थीगण/प्रति0

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. एवं
आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0

उपस्थितिः– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की.ओर से
श्री गजेन्द्र सिंह योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा.3 की ओर से

।। आदेश ।।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 व आदेश 39 नियम 1 व 2 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मिन वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर हाल 34 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना मे स्थित है जिसका मौके पर रकबा अलाटमेन्ट एवपं साबिक रकबा के मुताबिक 2 बीघा यानि 50 एयर है जिसका राजस्व रिकार्ड मे बन्दोबस्त संवत 2042 के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से 29 एयर रकबा कम कर दिया गया । जिसकी दुरूस्ती का दावा विक्रमसिंह व अन्य बनाम राज0 सरकार के नाम का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष लम्बित है मिन वादी के उक्त खसरा नम्बअर के तरफ उत्तर मे लगते हुऐ प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की खतेदारी के खसरा नम्बर 874/873 रकबा 0.2057 है0, 875/873 रकबा 0.1950 वाके ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना मे स्थित है। मौके पर मिन वादी की सहखातेदारी के खसरा नम्बर 34 का रकबा 50 एयर है तथा 50 एयर भूमि पर ही काबिज है। मौके पर मिन वादी के खसरा नम्बर 34 व प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 874/873, 875/873 के बीच मे डोल कदीम से बनी हुई है। वही तक मिन वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि के मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मिन वादी अपने खसरा नम्बर 34 की उत्तरी डोल पर कदीम से कोरे पारे पत्थरो की दिवार लगा रखी है। लेकिन अब प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 द्वारा विना हक व अधिकार के लाठी के बल पर मिन वादी के खसरा नम्बर 34 के तरफ उत्तर की डोल को तोडकर तथा मिन वादी के खसरा नम्बर 34 की 7–8 फुट चौडी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

को दबाकर उसे अपने खसरा नम्बरान मे शामिल कर कच्चा पक्का निर्माण करने एवं उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे है। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 को ताफैसला मूल दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जावे कि वो वादी के खसरा नम्बर 34 की उत्तरी डोल पर लगाई गई कोरे पारे पत्थरो की दिवार को नही हटावे ना ही वादी के खसरा नम्बर 34 के किसी भाग पर कब्जा कर उसे अपने खसरा नम्बर 874/873, 875/873 मे शामिल कर उसे दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे। इसी अनुसार उप पंजीयक मांढण को भी पाबन्द किया जावे.....आदि ।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 बाद तलवी न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को इंकार करते हुऐ जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि हम अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 874/873, 875/873 वाके ग्राम ढीकवाड से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी द्वारा अपने खसरा नम्बर 34 के रकबा को दुरूस्ती का वाद विक्रमसिंह बनाम राज0 के नाम से पेश कर खसरा नम्बर 39 रकबा 1.65 है0 सरकारी भूमि मे अपने खसरा नम्बर 34 का रकबा शामिल होना बताते हुऐ दावा पेश किया हुआ है। प्रार्थी की आराजी को हम अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर मे कोई रकबा शामिल किया हुआ नही है। हम अप्रार्थीगण द्वारा अपने खसरा नम्बरान की विधिवत रूप से पैमाईश करवाई गई। जिस पैमाईश के आधार पर हम अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 874/873, 875/873 पर पुख्ता पत्थर गढी करने एवं हम अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 874/873 जो कि आवासीय प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण करवाया हुआ है पर आवासीय मकानो के निर्माण मे बिना वजह बाधा कारित करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 34 के किसी भी भाग को दबाना नही चाहते है ना ही प्रार्थी के खसरा नम्बर को कोई रकम हम अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान मे शामिल है। मौके पर जहां पर हम अप्रार्थीगण कदीम से काबिज है वही पर आज भी काबिज है और वही पर निर्माण करना चाहते है। लेकिन प्रार्थी जानबुझकर हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय स्टे प्राप्त कर लिया गया। जिससे हम अप्रार्थीगण को हमारे खसरा नम्बर पर निर्माण करने मे बाधा कारित करता है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई तथा अप्रार्थी सं0 4 व 5 बावजूद सूचना के न्यायालय मे तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को रिपीट करते हुऐ, प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 ने अपनी बहस मे अपने जबाब दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण के समय प्रथम दृष्ट्या प्रकरण,सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू पर गोर किया जाना आवश्यक होता है।

(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :– प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 34 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली–बहरोड़

ढीकवाड पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2073–2076 के मुताबिक प्रार्थी हिस्सा–1/12 का खातेदार दर्ज रिकार्ड शेष हिस्से के अन्य लोग खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 874/873,875/873 वाके ग्राम ढीकवाड के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 दर्ज रिकार्ड है। राजस्व नक्शा के मुताबिक उक्त खसरा नम्बर आपस मे लगते हुये है। लेकिन प्रार्थी द्वारा यह साबित करने मे असफल रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 34 की भूमि को दबाकर अपने खसरा नम्बर मे शामिल करना चाहते हो। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब दावा के साथ पेश पैमाईश रिपोर्ट मे भी यह साफ अंकित नही है कि खसरा नम्बर 874/873,875/873 की दक्षिणी ओल कहा तक स्थित है। पैमाईश रिपोर्ट मे मौके पर खुर्द बुर्द होना एवं दिगर व्यक्ति का कब्जा होना अंकित किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन के पश्चात इस बिन्दू का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

(2) सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति का बिन्दू :– प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 34 का कोई रकबा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 874/873,875/873 वाके ग्राम ढीकवाड मे शामिल नही है। तो अप्रार्थीगण द्वारा हाल राजस्व नक्शा एवं जमाबन्दी मे दर्ज रकबा के मुताबिक अपने खसरा नम्बर 874/873,875/873 वाके ग्राम ढीकवाड का उपयोग उपभोग करने एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण खसरा नम्बर 874/873 पर निर्माण करने से प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा एवं क्षति होने का अंदेशा नही है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 34 के किसी भाग पर कब्जा कर अपने खसरा नम्बर मे शामिल कर, उस पर किसी प्रकार का निर्माण किया जावे या उसे दिगर जगह मुन्तकिल किया जावे तो उस स्थिती मे उक्त दोनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे साबित होते है। इसलिए उक्त दोनो बिन्दूओ का एक साथ निस्तारण करते हुऐ उक्त दोनो बिन्दूओ का आंशिक रूप से निस्तारण प्रार्थी के पक्ष मे किया जाता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पुर्णअवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित होने के कारण स्वीकार कर, अप्रार्थी सं0 1 लगा. 3 को ताफैसला मूल दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि वो प्रार्थी के खसरा नम्बर 34 वाके ग्राम ढीकवाड़ तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल राजस्व नक्शा एवं जमाबन्दी मे दर्ज रकबा के मुताबिक किसी भाग पर कब्जा नही करे ना ही किसी भाग को दबाकर किसी प्रकार का निर्माण करे तथा पत्रावली मे दिनांक 19.07.2023 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
महेन्द्र सिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना

आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
महेन्द्र सिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना